न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 31/2022

किशन पुत्र श्री नारायण जाति मीना निवासी खोंचपुरी तहसील महवा जिला दौसा

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार महवा दिनांक 12.9.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम किशन प्रकरण सं0 52/2022 अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 31.5.2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, महवा ने दिनाक 12.9.2022 को ग्राम खोंचपुरी तहसील महवा के आ0ख0 न0 282 रकबा 0.20है. किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं लगान के 50 गुना शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि पटवारी हल्का खोंचपुरी ने अपीलांट के विरूद्ध एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार महवा को इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 282 रकबा 0.20है. पर अतिचार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय 12.9.2022 विधि प्रकिया, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिये गलत तरीके से एकतरफा निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट ने किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि अपीलांट का पिछले 50 वर्षो से अपने बुजुर्गो के समय से उक्त आराजी पर मकान बनाकर रहवास करते चले आ रहे है। अपीलांट के पास अन्य आवास भी उपलब्ध नहीं है। पटवारी हल्का ने सरासर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया तथा पटवारी हल्का ने अपीलांट के समक्ष भूमि का मौका नही देखा न मौका रिपोर्ट बनाई। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई एवं पटवारी से अपीलांट को जिरह का अवसर भी नहीं दिया। बिना रिपोर्ट प्रदर्शित हुए रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। निर्णय अपीलांट के पीठ पीछे बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.9.2022 जो मु0नं0 52/2022 पर पारित किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qumar Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:53:50 IST
Reason: SelfAttested

.....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर दौसा

राजस्व अपील सं0 31/2022

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का खोंचपुरी द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक समलेटी से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक समलेटी की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट स्वयं नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2079 में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 282 रकबा 0.20है0 पर ढेंचा व ज्वार बुवाई कर कब्जा किया जाना अंकित है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का खोंचपुरी द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक समलेटी से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ। किन्तु कोई जवाब या साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ है। अपीलांट का यह कथन सत्य नही है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि खसरा नंबर 282 के रकबा 0.20है. पर ढेंचा व ज्वार बुवाई कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही अपनी रिपोर्ट की कैफियत में नया अतिक्रमण होना अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर नया अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट का यह कथन कतई उचित नहीं माना जा सकता है कि अपीलांट का पिछले 50 वर्षों से अपने बुजुर्गो के समय से उक्त आराजी पर मकान बनाकर रहवास करते चले आ रहे है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरगाह भूमि पर बिना अधिकार के ढेंचा व ज्वार की फसल बुवाई कर अतिचार किया है, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.9.2022 आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:53:50 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 31 मई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा